अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध / ई–मेल
संख्या 4257 / 9–1–2017–04निर्वाचन / 2017

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 13 सितम्बर, 2017

विषय–नगर निगमों / नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों के कक्षों हेतु आरक्षण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1623 / 9–1–2017–04निर्वाचन / 2017, दिनांक–25 अप्रैल, 2017 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर निगमों / नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों के कक्षों हेतु आरक्षण का प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

2. उल्लेखनीय है कि शासन के आदेश संख्या–2904 / 9 –1–2017–01निर्वाचन / 2017, दिनांक–13 जून, 2017 द्वारा पूर्व में किये गये नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों की संख्या का अवधारण (रैपिड सर्वे) को निरस्त करते हुए उक्त कार्य को पुनः कराये जाने के आदेश दिये गये थे।

3. वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि शासन के आदेश संख्या–1623 / 9–1–2017–04निर्वाचन / 2017, दिनांक–25 अप्रैल, 2017 में दिये गये निर्देशानुसार आगामी नागर निकाय चुनाव में जनपद के नगर निगमों तथा नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों में स्थानों का अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रस्ताव (हार्ड एवं साफ्ट कापी में 04–04 प्रतियों में) विधि व्यवस्था एवं नियमावली के नियमों के अनुसार तैयार कराकर प्रत्येक दशा में दिनांक 18.09.2017 तक विशेष वाहक के माध्यम से निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0, आठवां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

Manoj 13.9.17

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उ0प्र0।
2. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, (पंचायत एवं स्थानीय निकाय, लखनऊ)।

4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को अपने मण्डल के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही नियत अवधि में पूर्ण कराये जाने हेतु।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त निर्देशानुसार जिलाधिकारियों से वार्डो के आरक्षण का प्रस्ताव विलम्बतम दिनांक 18.09.2017 तक प्राप्त कर सुसंगत अधिनियम तथा नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत परीक्षण कर शासन को दिनांक 25.09.2017 तक अवश्य उपलब्ध कराये, ताकि अधिनियम की व्यवस्था के अन्तर्गत आरक्षण की अनन्तिम अधिसूचना समय से निर्गत की जा सके।
6. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
7. वेबमास्टर, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।